भैरूलाल लश्करी वगै0 बनाम जितेन्द्र सिंह वगै0

प्रकरण संख्या 10 वर्ष 2021

GCMS-2021/00046

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07-04-2021	1. पत्रावली पेश हुई । अपीलांट एवं वकील अपीलांट अनुपस्थित । वकील रेस्पोडेन्ट उपस्थित । अपीलांट एवं वकील अपीलांट को रूक रूककर आवांजे लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं होने की स्थिति में वकील रेस्पोडेन्ट की प्रार्थना पर वकील रेस्पोडेन्ट को सुना गया । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट द्वारा जिस आदेश दिनांक 12.11.2020 के विरूद्व यह अपील पेश की गई है उस आदेश को तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने आदेश दिनांक 15.1.2021 से रा0टी0ए0 की धारा 220 (2) के तहत निर्णय दिनांक 12.11.2020 का पुरावलोकन किया जाकर उक्त निर्णय की पालना में दर्ज किया गया इन्तकाल नं0 693 ग्राम नया नोहरा निरस्त किया जाने से अब इस अपील के चलने का कोई औचित्य ही नहीं है । अतः अपील इसी स्तर पर निरस्त फरमाई जावें । 2. हमने वकील रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 23.3.2021 को फर्द दस्तावेज के साथ प्रस्तुत तहसीलदार लाडपुरा के आदेशिका दिनांक 15.01.2021 अनुसार आदेश दिनांक 12.11.2020 का पुनरावलोकन किया जाकर उक्त निर्णय की पालना में दर्ज नामान्तकरण नं0 693 ग्राम नया नोहरा निरस्त किया जा चुका है । अतः जिस आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई थी उस आदेश एवं नामान्तकरण को ही तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निरस्त किया जा चुका है, ऐसी स्थिति में इस अपील में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है । 3. परिणामतः इस अपील में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहने से अपील अपीलांट इसी स्तर निस्तारित की जाकर निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें । बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो । जिला कलेक्टर कोटा	